न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 35/2023, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

1. चन्द्रपाल महावर पुत्र श्री ओमकार महावर जाति कोली निवासी सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. भीखालाल पुत्र मोती मिश्रा
2. प्रकाश मिश्रा उर्फ कालूराम पुत्र भीखालाल मिश्रा
3. पिन्टू मिश्रा पुत्र भीखालाल मिश्रा
4. गोदावरी मिश्रा पत्नि भीखालाल मिश्रा

} समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सिकराय तह. सिकराय।

5. श्री राकेश मीना आर. ए. एस. उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पत्रावली विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी सिकराय पीठासीन अधिकारी राकेश मीना आर. ए. एस. प्रकरण उनवानी चन्द्रपाल महावर आदि बनाम भीखालाल आदि दावा मु. नं. 211/2022 व टी. आई. नं. 127/2022

उपस्थिति : श्री हेमराज गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
: श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 उपस्थित।
: श्री राजेश शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः– 15.12.2023

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा एक वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी सिकराय के न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है, जो आज भी प्रभाव में है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा गांव में ऐलानिया कहा जा रहा है कि उनकी पीठासीन अधिकारी से पटरी बैठ गई है तथा उक्त प्रकरण का जल्द से जल्द फैसला उनके हक में होने वाला है तथा स्टे आदेश भी खारिज होने वाला है। प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिकराय से न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचाराधीन दावा व टी. आई को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय से प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचाराधीन दावा व टी. आई. में उपखण्ड अधिकारी सिकराय द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा कहा जा रहा है कि उक्त प्रकरण का जल्द से जल्द फैसला उनके हक में होने वाला है तथा स्टे आदेश भी खारिज होने वाला है। मैने प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण के साथ शपथ पत्र भी पेश कर रखा है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आते जाते देखा है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में नजदीकी तारीख पेशी दी जा रही है। जिससे उनकी कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग रहा है। उपखण्ड अधिकारी सिकराय से प्रार्थी को न्याय की उम्मीद नही रही है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचाराधीन दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का निवेदन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>प्र. सं. 35/2023, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण</u>

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी दोनो पक्षों की उपस्थिति में तारीख पेशी देते है। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.9.2022 को वाद पत्र व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश की थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की थी तथा रजिस्टर्ड एडी से तामील होने के पश्चात जवाबदातागण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 2.12.2022 को उपस्थित हुये तथा दिनांक 11.1.2023 को एक प्रार्थना पत्र वास्ते सुनवाई रोके जाने बाबत् पेश किया जिस पर जवाब लेने के पश्चात् दिनांक 9.6.2023 को जवाबदाता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया तथा मूल प्रार्थना पत्र टी. आई तथा जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसके पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वास्ते बहस प्रार्थना पत्र एवं वाद में कायमी तनकी हेतु तारीख पेशी नियत की गई। कानूनी दृष्टिकोण के अनुसार प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात टी. आई. प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाती है। प्रकरण बहस हेतु नियत था जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को अनेको अवसर दिये गये, किन्तु उनके द्वारा टी. आई. प्रार्थना पत्र पर बहस नहीं की गई तथा प्रकरण को देरीना करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण न्यायालय मे प्रस्तुत कर दिया गया। प्रार्थी चन्द्रपाल अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में बहस नहीं कर येन केन प्रकारेण टी. आई. को लम्बा चलाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में अंकित किया गया है कि प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं है। मूल वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा की आदेशिका का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में सही कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा बिना किसी युक्तियुक्त आधार के केवल मनगढन्त व बनावटी तथ्य अंकित करते हुये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई की जा रही है। प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनेक अवसर बहस हेतु दिये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा टी. आई. प्रार्थना पत्र पर बहस नहीं की गई। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी येन–केन प्रकारेण प्रार्थना पत्र टी. आई. को लम्बा चलाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अनुसार प्रकरण में एकपक्षीय बहस सुनी जाकर अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है, तत्पश्चात् पत्रावली बहस में नियत की गई है, जिसमे बहस हेतु बार–बार अवसर प्रदान किये गये है। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में बहस नहीं की जाकर प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करने के लिये ही उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में कोई औचित्यपूर्ण तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण साबित नहीं होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी सिकराय को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार किया जाकर नम्बर से कम हो एवं पत्रावली बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजकुमार कस्वा)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 15.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा